दिल्ली-NCR में संशोधित GRAP लागू: 1 नवंबर से बाहरी गैर-BS-VI वाहनों पर रोक; 2 नवंबर से स्टेज-II

पर्यावरण | वायु-प्रदूषण • GRAP • GS-III | समाचार-संदर्भ: 21 अक्टूबर 2026 (GRAP-1), 1 नवंबर 2026 (संशोधित प्रावधान) और 2 नवंबर 2026 (स्टेज-II) | प्रकाशन: 1 नवंबर 2026 | अद्यतन: 6 नवंबर 2026 (सुबह 9 बजे के AQI का समाचार-संदर्भ)



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

12 नवंबर 2026 का अपडेट: GRAP चरण-III जारी, AQI फिर बिगड़ रहा

वर्तमान स्थिति: दिल्ली-NCR में GRAP चरण-III के प्रतिबंध 6 नवंबर 2026 की शाम से लागू हैं, जब वायु-गुणवत्ता 'गंभीर' (severe) श्रेणी में पहुंच गई थी। 12 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 321 दर्ज हुआ — एक दिन में 21 अंक की बढ़ोतरी; IIT दिल्ली स्टेशन पर 414 तक पहुंचा। IITM के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार (13 नवंबर) तक वायु-गुणवत्ता फिर 'गंभीर' स्तर पर जा सकती है।

स्कूलों के लिए हाइब्रिड व्यवस्था: कक्षा 5 तक हाइब्रिड (ऑनलाइन + ऑफलाइन) पढ़ाई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के स्कूलों में अनिवार्य की गई — यह निर्देश GRAP चरण-III लागू होने के साथ 6-7 नवंबर को आया था। 12 नवंबर से नोएडा और गाजियाबाद में हाइब्रिड कक्षाओं के साथ निर्माण-कार्य पर रोक भी प्रभावी हुई।

जन-प्रतिक्रिया: 11 नवंबर की शाम छात्रों और युवाओं ने बिगड़ती हवा-गुणवत्ता के विरोध में टरकमैन गेट से जंतर-मंतर की ओर मार्च निकाला; पुलिस ने मार्च को कुछ ही दूरी पर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों की माँग थी — प्रदूषण-नियंत्रण उपायों का सख्त क्रियान्वयन।

परीक्षा-दृष्टि: GRAP चरण-III के प्रमुख प्रतिबंध — निर्माण-उत्खनन पर रोक, पुराने डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध, कक्षा 5 तक हाइब्रिड शिक्षा — CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) द्वारा NCR और आसपास के क्षेत्रों में लागू; AQI 401-450 'गंभीर' श्रेणी की सीमा है।

6 नवंबर का अद्यतन: शहर का औसत और स्थानीय स्टेशन अलग पढ़ें

द हिंदू की 6 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली का 24-घंटे औसत AQI **391, यानी "बहुत खराब"** था। उसी समय IIT दिल्ली, ITO, द्वारका, रोहिणी और जहाँगीरपुरी समेत कई स्थान "गंभीर" श्रेणी में थे। स्थानीय स्टेशन की श्रेणी को पूरे शहर का औसत न लिखें।

समय की तुलना सावधानी से करें: रिपोर्ट में 5 नवंबर शाम 4 बजे का दैनिक-बुलेटिन AQI 369 दिया गया है। 6 नवंबर सुबह 9 बजे का 391 उसी दिन के अंतिम दैनिक बुलेटिन का विकल्प नहीं है। AQI समय और स्थान के साथ बदलता है; यह लेख सुबह के समाचार-क्षण का संदर्भ है, लाइव प्रदूषण चेतावनी नहीं।

CPCB की AQI पद्धति में 301-400 "बहुत खराब" और 401-500 "गंभीर" हैं। रिपोर्ट ने अगले दिनों के लिए गंभीर श्रेणी का पूर्वानुमान भी बताया; **पूर्वानुमान को घटित परिणाम न समझें**। इसी तरह AQI की श्रेणी और GRAP का लागू चरण अलग प्रश्न हैं। नया चरण लागू होने की पुष्टि संबंधित CAQM आदेश से होनी चाहिए; इस सुबह की रिपोर्ट के आधार पर स्टेज-III या IV लागू होने का दावा यहाँ नहीं किया गया है। नीचे 1-3 नवंबर की कार्रवाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में सुरक्षित है।

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR प्रदूषण के संरचनात्मक कारण और शासन

6 नवंबर 2026 का आदेश: वाहन-उत्सर्जन पर राज्यों से जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने 6 नवंबर 2026 के आदेश में दिल्ली-NCR के वाहन-उत्सर्जन को क्षेत्रीय समस्या के रूप में देखा। न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र पर दिल्ली के भीतर के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक वाहनों का संयुक्त बोझ पड़ता है। यह आदेश 10 नवंबर की समाचार-रिपोर्टों में प्रमुखता से आया; इसे 11 नवंबर का नया आदेश न मानें।

राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से विस्तृत जवाब माँगे। विषयों में वाहनों के प्रवेश और परिचालन का नियमन, निर्धारित उत्सर्जन मानकों व PUC प्रमाणन का अनुपालन, अधिक उम्र/जीवन-अवधि समाप्त या अन्यथा गैर-अनुपालक वाहनों पर कार्रवाई, निरीक्षण/चालान/प्रवेश रोकने के आँकड़े और अंतर-राज्यीय समन्वय शामिल हैं। प्रवर्तन मजबूत करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना भी बताने को कहा गया।

यह जवाब और कार्ययोजना माँगने का निर्देश है। इससे अपने-आप सभी बाहरी निजी वाहनों पर नया एक समान प्रतिबंध या किसी GRAP चरण का नया सक्रियण सिद्ध नहीं होता। पुराने या गैर-अनुपालक वाहनों पर कौन-सा नियम लागू है, यह संबंधित वर्तमान अधिसूचना और वाहन की श्रेणी से अलग जाँचना होगा।

आदेश में वाहन-उत्सर्जन और प्रदूषण संबंधी अलग मामले, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 12/2026, को 23 नवंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध करने को कहा गया है। यह निर्धारित सुनवाई-तिथि है, अंतिम नीति-निर्णय हो जाने का दावा नहीं।

6 नवंबर 2026 का सर्वोच्च न्यायालय आदेश, SMW(C) 11/2026, अनुच्छेद 5-8; LiveLaw पर उपलब्ध न्यायालयीन PDF प्रति

द हिंदू, 10 नवंबर 2026

स्वच्छ हवा बनाम विकास: गलत द्वंद्व से आगे

11 नवंबर के विश्लेषण में यह तर्क दिया गया कि प्रदूषण घटाने के उपाय विकास की प्राथमिकताओं के साथ जोड़े जा सकते हैं। उद्योग में साफ प्रक्रियाएँ उत्सर्जन कम करने के साथ संसाधन-दक्षता बढ़ा सकती हैं; स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा घरेलू धुएँ के साथ स्वास्थ्य और सुविधा के प्रश्न को संबोधित करती है; बेहतर कचरा-प्रबंधन खुले में जलाने की जरूरत घटाने के साथ नगर-सेवा सुधार सकता है।

वाहन-उत्सर्जन पर इसका नीतिगत अर्थ केवल कुछ दिनों के प्रतिबंध तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक परिवहन, पैदल और साइकिल यात्रा की सुविधा, बेहतर माल-ढुलाई तथा अनुपालन की विश्वसनीय जाँच को साथ देखने की जरूरत है। ये हमारे विश्लेषणात्मक विकल्प हैं, इस समाचार के आधार पर लागू हो चुके नए सरकारी आदेश नहीं।

सही कसौटी केवल चुनी हुई गतिविधि बंद करने से हुई उत्सर्जन-कमी नहीं, लोगों की हवा, स्वास्थ्य, आवागमन और आजीविका पर समग्र असर भी है। लाभ, लागत और संक्रमण का बोझ किस समूह पर पड़ता है, इसे देखे बिना “स्वच्छ हवा” और “तेज विकास” दोनों की सफलता मान लेना अधूरा होगा।

संबंधित 11 नवंबर विश्लेषण

अद्यतन — 3 नवंबर 2026: संपूर्ण NCR में GRAP स्टेज-II लागू (2 नवंबर से)

AQI 324, 'वैरी पूअर': दिल्ली का दैनिक औसत AQI 117 (31 अक्टूबर, 'मॉडरेट') से बढ़कर 261 (1 नवंबर, 'पूअर') और फिर 324 (2 नवंबर, 'वैरी पूअर' श्रेणी) पहुँच गया (CPCB दैनिक AQI बुलेटिन)। इसी पृष्ठभूमि में CAQM की GRAP उप-समिति ने 2 नवंबर 2026 की समीक्षा-बैठक में निर्णय लिया कि विद्यमान GRAP की स्टेज-II **संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में तत्काल प्रभाव से** लागू की जाए; 21 अक्टूबर 2026 से लागू स्टेज-I के प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

स्टेज-II के प्रमुख कदम (ज़िम्मेदार एजेंसियों हेतु): चिन्हित सड़कों पर यांत्रिक/वैक्यूम स्वीपिंग और जल-छिड़काव प्रतिदिन; पीक-ट्रैफिक घंटों से पहले धूल-शमन पाउडर/एजेंट का प्रयोग; प्रदूषण-हॉटस्पॉट पर केंद्रित कार्रवाई; निर्माण-विध्वंस स्थलों का सघन निरीक्षण; पार्किंग शुल्क में वृद्धि (निजी वाहन-उपयोग हतोत्साह हेतु); RWA द्वारा सुरक्षा-गार्ड/सफाई कर्मियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराना (छोटे खुले अग्नि/बायोमास-ज्वलन रोकथाम); दिल्ली सहित गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए कार्यालय-समय में staggered timings; केंद्र सरकार भी केंद्रीय कार्यालयों हेतु ऐसा निर्णय ले सकती है।

नागरिक चार्टर (स्टेज-II): सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग; कम भीड़ वाले मार्ग; नियमित पार्किंग-अनुशासन; वाहन का एयर-फ़िल्टर बदलना; अक्टूबर-जनवरी धूल-जनित निर्माण से बचना; रसोई चिमनी का फ़िल्टर साफ़ रखना; खुले में बाहरी भोजन/धूनी/कूड़ा न जलाना; संभव हो तो घर से कार्य (work from home)।

खबरों में क्यों

दिल्ली का वायु-स्तर ‘पूअर’ ज़ोन में लौटते ही शीतकालीन नियम-पुस्तिका सक्रिय हो गई: 1 नवंबर 2026 से दिल्ली यातायात पुलिस संशोधित GRAP (Graded Response Action Plan) के तहत सीमा-जाँच शुरू कर रही है — दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। CAQM ने GRAP स्टेज-I पहले ही 21 अक्टूबर 2026 को लागू किया था: धूल-शमन उपाय, निर्माण-विध्वंस गतिविधियों, अपशिष्ट-प्रबंधन और अन्य स्रोतों पर सख्त निगरानी; वाहन-उत्सर्जन, डीजल जनरेटर, सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक उत्सर्जन और तंदूरों में कोयला-लकड़ी पर प्रतिबंध शामिल हैं। पृष्ठभूमि में पराली-जलाऊ, मौसम-परिस्थितियाँ और दीपावली-पूर्व निवारक कदम (pre-emptive curbs) रहे।

पृष्ठभूमि

GRAP, CAQM (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) की स्तरीय कार्रवाई-योजना है — AQI श्रेणी के अनुसार स्टेज I से IV तक प्रतिबंध सख्त होते हैं। BS-VI उत्सर्जन-मानक 2020 से लागू है; गैर-BS-VI डीजल/पेट्रोल वाहन NCR के प्रमुख चल स्रोतों में गिने जाते हैं। वैकल्पिक उपाय: PUC प्रमाणपत्र, डिजिलॉकर-आधारित जाँच, सीमा-नियंत्रण।

परीक्षा दृष्टिकोण

मेन्स (GS-III): वायु-प्रदूषण शासन में निवारक (pre-emptive) बनाम प्रतिक्रियात्मक नीति; केंद्र-राज्य समन्वय (CAQM की अंतर-राज्यीय सीमा); पराली-प्रबंधन और कृषि-नीति संबंध।

प्रीलिम्स: CAQM की स्थापना/क्षेत्र, GRAP स्टेज, BS-VI मानक, AQI श्रेणियाँ।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"GRAP जैसी स्तरीय कार्रवाई-योजनाएँ आवश्यक हैं, किंतु प्रतिक्रियात्मक प्रतिबंध दिल्ली-NCR के प्रदूषण का संरचनात्मक उत्तर नहीं हैं।" टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: संशोधित GRAP का सार — 1 नवंबर से सीमा-जाँच, गैर-BS-VI बाहरी वाहनों पर रोक; स्टेज-I 21 अक्टूबर से लागू।

मुख्य भाग में: तर्क-पक्ष: स्तरीय प्रतिबंध AQI-विकर्षण को धीमा करते हैं; निवारक कदम (दीपावली-पूर्व) समय-संवेदनशील; CAQM अंतर-राज्यीय समन्वय का मंच। सीमा-रेखा: प्रतिबंध अस्थायी; संरचनात्मक स्रोत — वाहन-बहुल परिवहन, निर्माण-धूल, पराली, औद्योगिक ईंधन — दीर्घकालिक निवेश (सार्वजनिक परिवहन, ईंधन-परिवर्तन, कृषि-विकल्प) माँगते हैं; क्रियान्वयन-क्षमता और अंतर-राज्यीय ढर्रा सबसे कमजोर कड़ी।

निष्कर्ष में: GRAP को दीर्घकालिक स्रोत-न्यूनीकरण रणनीति से जोड़ना आवश्यक; अन्यथा प्रत्येक शीतकाल वही चक्र दोहराएगा।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. GRAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: GRAP को क्रियान्वित करने वाला निकाय CAQM है, जो NCR और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन का आयोग है।

कथन-II: GRAP के अंतर्गत प्रतिबंध AQI श्रेणी के अनुसार स्टेज I से IV तक सख्त होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

(b) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(c) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

(d) न तो कथन-I, न ही कथन-II सही है

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) — GRAP, CAQM की स्तरीय कार्रवाई-योजना है जिसमें AQI श्रेणी के अनुसार स्टेज I से IV तक प्रतिबंध सख्त होते जाते हैं।

प्रश्न 2. 1 नवंबर 2026 से लागू संशोधित GRAP प्रावधान के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

(a) दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ सीमा-जाँच शुरू हुई

(b) सभी निजी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया

(c) केवल औद्योगिक इकाइयों पर नए प्रतिबंध लगे, वाहनों पर नहीं

(d) GRAP स्टेज-IV लागू किया गया

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) — संशोधित GRAP के तहत 1 नवंबर से दिल्ली यातायात पुलिस सीमा-जाँच कर रही है; बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है (GRAP स्टेज-I 21 अक्टूबर से पहले से लागू)।

स्रोत

1. द हिंदू, 6 नवंबर 2026: सुबह 9 बजे का AQI और स्थानीय स्टेशन
2. CPCB: राष्ट्रीय AQI की श्रेणियाँ
3. इंडियन एक्सप्रेस: संशोधित GRAP — 1 नवंबर से वाहन-प्रतिबध (1 नवंबर 2026)
4. इंडियन एक्सप्रेस: पराली/दीपावली और निवारक कदम (1 नवंबर 2026)
5. टाइम्स ऑफ इंडिया: दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू (21 अक्टूबर 2026)
6. CAQM: GRAP आदेश-पृष्ठ (संदर्भ)
7. CAQM प्रेस-विज्ञप्ति: संपूर्ण NCR में GRAP स्टेज-II तत्काल प्रभाव से (2 नवंबर 2026)

8. CAQM आदेश: GRAP स्टेज-II ('वैरी पूअर', AQI 301-400) — 2 नवंबर 2026
9. द हिंदू: GRAP-3 प्रतिबंध लागू (6 नवंबर 2026)
10. टाइम्स ऑफ इंडिया: कक्षा 5 तक हाइब्रिड कक्षाएँ (7 नवंबर 2026)
11. ज़ी न्यूज़: नोएडा-गाजियाबाद में हाइब्रिड कक्षाएँ और निर्माण पर रोक (12 नवंबर 2026)
12. इकॉनॉमिक टाइम्स: दिल्ली AQI 321, IIT दिल्ली स्टेशन 414 (12 नवंबर 2026)
13. द हिंदू मॉर्निंग डाइजेस्ट: प्रदूषण-विरोधी छात्र मार्च रोका गया (12 नवंबर 2026)